रजिस्टर्ड पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई–33 / रेडियो. / कोर्ट केसेज / 335 / 2021 / 134 दिनांक : 12/4/2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जोधपुर एवं केस अधिकारी प्रभारी।

विषय: डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6834 / 2020 अमृत लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य।

संदर्भ: आपका पत्रांक 1886 दिनांक 10.3.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक:प.20679 / 156 दिनांक 25.2.2021 के द्वारा आपको उक्त प्रकरण में केस अधिकारी प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

बिन्दु सं.	तथ्यात्मक रिपोर्ट
1.	विधिक बिन्दु है।
2.	याचिकाकर्ता को प्रमाणित करना है।
3.	याचिकाकर्ता ने एक वर्ष का एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया है, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नही है।
4.	अस्वीकार है। उक्त वर्णित योग्यता का सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती–2020 की निर्धारित योग्यता से कोई सम्बन्ध नही है।
5.	"मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" में निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के पत्रांक 40 दिनांक 18.3.2013 एवं पत्रांक 2588 दिनांक 4.6.2013 (प्रति संलग्न) के द्वारा याचिकाकर्ता को वरिष्ठ रेडियोग्राफर के निर्देशन में दैनिक वेतन भोगी कार्मिक के रूप में अनुबन्ध पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्य हेतु लिया गया था, जो सहायक रेडियोग्राफर की योग्यता का आधार नही बनता है।
6.	स्वीकार है।
7.	अस्वीकार है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु दिनांक 6.2.2013 एवं 30.8.2013 को विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर राज्य मंत्रीमण्डल से अनुमोदन उपरान्त जरीये नोटिफिकेशन के योग्यता में परिवर्तन आवश्यकतानुरूप किया गया है तथा उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत दिनांक 26.2.2013, 10.7.2013, 10.10.2016 एवं 25.5.2018 को सहायक रेडियोग्राफर के पद की भर्ती विज्ञप्ति जारी कर विभाग द्वारा 4 भर्तियां पूर्व में की जा चुकी है।
8.	अस्वीकार है। याचिकाकर्ता से कोई सम्बन्ध नही है। अनुभव के आधार पर बोनस अंक केवल सहायक रेडियोग्राफर के पद की निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को ही देय है।
9.	अस्वीकार है। भर्ती हेतु ऑनलाईन अप्लीकेशन केवल योग्य अभ्यर्थी ही भर सकता है, याचिकाकर्ता के पास सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती–2020 हेतु निर्धारित योग्यता नही होने के कारण याचिकाकर्ता का ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नही किया गया।

क्रमशः पेज 2 ......

बिन्दु संख्या 10 एवं ग्राउण्डस् ए टू एफ निम्न प्रकार से है :–

वर्तमान में सहायक रेडियोग्राफर के पद की योग्यता निम्न प्रकार है :–

1. Senior Secondary in science with either biology or Mathematics or its equivalent with Radiography course passed from an institute recognized by State Government/Central Government/Rajasthan Paramedical Council
and
2. Registered in Rajasthan Para Medical Council

(1) याचिकाकर्ता सीनियर सेकेण्डरी (10+2) विज्ञान विषय में उत्तीर्ण नही है, जबकि वह कला वर्ग से उत्तीर्ण है।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा दूरस्थ शिक्षा से एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स उत्तीर्ण किया गया है जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नही है।

(3) याचिकाकर्ता के पास राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन नही है।

इस प्रकार याचिकाकर्ता के पास सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती–2020 की निर्धारित कोई योग्यता नही है, इसलिये वह नियुक्ति का पात्र नही है।

उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जवाब प्रस्तुत कराकर प्रकरण को निस्तारित करावें एवं की गई कार्यवाही से समय–समय पर अवगत कराने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33/रेडियो./कोर्ट केसेज/335/2021//134 दिनांक : 12/4/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
4. डॉ. बी.एम. स्वर्णकार, विशेषाधिकारी, विधि, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें